MR. SPEAKER : Please sit down. I have been listening to everything. There are many versions of one fact, and when there is no determination as to who is at fault, who has failed, whether it is the Government or the people.....*(Interruption)*

SHRI J. B. KRIPALANI *Rose—*

MR. SPEAKER : Please sit down. Do not get excited. I considered that, as there is going to be some enquiry to determine the facts, there is no scope for admitting the Adjournment Motion. I am very sorry. That is why I refused it. Shri Mrityunjay Prasad.

17.18 hrs.

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं दो तीन बातें आप के सामने रखना चाहता हूं। सब से पहले तो हमें यह निर्णय कर लेना है कि सरकार या सदन चाहता क्या है ? क्या हम दरअसल चाहते हैं कि अछूतों की और जन-जातियों की उन्नति पूरे तौर पर हो या नहीं चाहते ? अगर चाहते हैं तो सब से पहली बात तो यह थी कि उन की उन्नति के लिए कोई हम नापतौल रखते और जब किसी अनुसूचित जाति की यथेष्ट उन्नति हो जाती तो इस शड्यूल में से निकालने के भी कुछ लक्षण रखते कि कब ऐसी समुन्नत जातियां या समाज शेड्यूल में से हटाए जा सकते हैं ? यानी कब कौन सी जाति, कौन सा समाज इस हद तक समुन्नत हो चुका है ऐसा माना जाए कि वह अपने आपसपास के और सब लोगों के बराबर हो गया है और अब कोई अंतर नहीं रहा इसलिए उन्हें शेडयूल्ड कास्ट या अनुसूचित जाति कहने की अब आवश्यकता नहीं रह गया है ? जब तक इस का आप हिसाब नहीं रखते हैं तब तक यही होगा कि आप की अनुसूचि में बराबर बढ़ती ही होती चली जायगी और आज उस के लिए दौड़ धूप लगी हुई है कि कौन सी जाति का नाम बढ़ाया जाय या कौन सी जाति उस में छूटी हुई है। अभी यह कहा गया कि बंगाल में एक जाति होती है सुत्रधार जिसे वहां शेडयूल्ड कास्ट माना जाता है लेकिन दूसरी जगह उसे हरिजन नहीं माना जाता है। जहां तक मेरा ख्याल है उस के समकक्ष जातियां बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं जो अपने को शर्मा और विश्वकर्मा कह कर ब्राह्मण बन रही हैं। मुझे इस के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मगर सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए क्यों यह लड़ाई हो रही है ? इसलिए कि आप ने कोई ऐसा हिसाब नहीं रखा है कि कब वह इस इस हद तक पहुंचे हुए माने जाएंगे कि अब वह काफी उन्नत हो चुके और किसी को उस श्रेणी में रखा जाय, इस का कोई क्राइटेरिया या स्पष्ट नियम आपने नहीं रखा है। जिस समय आप की प्रवर समिति बैठी थी, उस समय भी आपने, अर्थात् सरकार और सरकार की ओर से मंत्रियों ने बहुत सी बातें उस के सामने नहीं रखीं और जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया, अगर व उस समय इन सब बातों को रख देते जो आज कह रहे है तो आज आप को 234 या जितने भी संशोधन आप लायें, हैं, उन के लाने की जरूरत न पड़ती, कम से कम इतनी अधिक संख्या में न लाना पड़ता। ऐसा मालूम होता है पिछले साढ़े तीन वर्षों में, जब, तक यह प्रवर समिति बैठी आप पर कोष्ठबद्धता लगा रही लेकिन उस के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि कई तरफ से आप पर ऐसा दबाव पड़ा कि जुलाब के रूप में आप अनलिमिटेड अमेंडमेंट्स ले आये। इस का मतलब है, कि आप अधकच्चे विचारों से पीड़ित हैं और इस तरह से एक दम यहां पर अधकचरे विचारों को लाना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है, कम से कम इतना कीजिये कि इस बिल पर आप अपनी पार्टी को पूरी स्वतन्त्रता दीजिये कि हर संशोधन के बारे में, हर बात के बारे में वह जैसे चाहे वैसे वोट दें, ऐसा न हो कि हमारे जो भी हरिजन या आदिवासी सदस्य यहां पर सरकारी दल के सदस्य हैं, वे आप के डर से अपनी सही भावना को प्रकट न कर सकें। इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि इस बिल के लिये आप उन को

पूरी स्वतन्त्रता दें, ताकि वे अपने कांशेंस विवेक के अनुसार वोट दे सकें और तब देखिये कि क्या पास होता है और क्या पास नहीं होता है। हम अपनी ओर से आप को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप के दो-चार अमेंडमेंट गिर भी जाते हैं तो आप को यह नहीं कहेंगे कि सरकार हटे, क्योंकि सरकार उन अमेंडमेंट्स पर हार गई है।

मैंने शुरू में कहा था कि जहां धर्म की बात आती है, आप हर बार उस को इस देश से हटा नहीं सकते। वजह यह है कि जिस धर्म के कारण अछूतपना लागू हुआ, अगर कोई उस धर्म को ही छोड़ दे, तो फिर वह अछूत नहीं रहता, तो फिर यह बात कैसे लागू रहेगी। जैसे कोई व्यक्ति ईसाई हो गया या मुसलमान हो गया, तो फिर उन के पूर्वजों का पता कौन लगाता है, कौन पिता है, उस का कुल क्या था, ये सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जब वह उस धर्म को ही नहीं मानता तो उस श्रेणी से अपने आप बाहर हो जाता है, वह अछूत रह ही नहीं जाता। इस लिये जो व्यवस्था बिल में की गई है, उस को न हटाइये, उस को रहने दीजिये, इस का दूसरे लोगों को लाभ होगा, जो फिर भी अछूत ही रहते हैं, बहुत हद तक आदिम जातियों के साथ भी यह लागू होता है।

दूसरी, बात—जब तक आप कुछ ऐसे लोगों के हाथ में रहेंगे, जिन के अपने निहित स्वार्थ है, वैस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, तब तक हमारे यहां से सात जन्म तक भी छूआछूत दूर नहीं होगी, आप चाहे जो कर लीजिये। मैं इस को उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं—जो हरिजन हर तरह से समाज में ऊंचे हो गये है, मैं व्यक्ति की बात कह रहा हूं, परिवारों की बात कह रहा हूं, जिन लोगों की शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति ऊंची हो गई है, उन परिवारों के साथ नाम के सिवा अब कोई अन्तर उन के और उन के ऊंची जाति वाले पड़ोसी के बीच में नहीं रह गया है, किन्तु वे हरिजन भाई ही उस अन्तर को अभी भी खुद कायम रखना चाहते है, क्योंकि हरिजनों को दी जानेवाली छात्रवृत्तियां अधिकांश में उन्हीं के लड़कों को मिलती है, जिस का नतीजा यह होता है कि दूसरे गरीब हरिजनों को उन सुविधाओं से वंचित रह जाना पड़ता है। उन को यह सुविधायें क्यों मिलती है, इसलिये कि वे पढ़ लिख गये हैं, समझदार हो गये हैं, अमीर हैं ये सुविधाये अफसरों के लड़को को मिलती है। इसलिये आप अवश्य काफी पैसा दीजिये, जितना देते है, उस से दुगना दीजिये, जिससे कोई शिकायत नहीं रहे लेकिन फिर भी आप को कोई शर्त लगानी चाहिये, जैसे कि जिस लड़के के पिता की आमदनी इतनी होगी, उस को हरिजनों की विशेष छात्रवृत्ति न मिलेगी। कुछ इस तरह की बात लगा दीजिये। इसी तरह से नौकरियों में भी ऐसी व्यवस्था कीजिये कि भरती करते समय जातियों के लिये इतनी छूट उम्र में रहे, इतनी छूट क्वालीफिकेशन में रहे, लेकिन उस के बाद पदोन्नति में वह छूट न रहे। जैसे कालिजों में भरती के समय छूट रहती है, लेकिन परीक्षा में पास होने के लिये छूट नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है कि किसी जाति के छात्र को चार-पांच नम्बर कम होने पर भी पास कर दिया जाता हो। अगर हम ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो नतीजा यह होगा कि जो लोग सर्वथा योग्य नहीं है, वे इस दृष्टिकोण से कि फलां जाति के है, इसलिये हम को तो तरक्की अवश्य मिलेगी ही, चाहे हम भला करें या बुरा करें, वे अपनी योग्यता को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। काम में बराबर ढिलाई करते रहेंगे। हरिजनों को ऊपर उठाने के लिये आवश्यक है कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने को कहा जाय।

तीसरी बात मैं अपने अछूत भाइयों से कहना चाहता हूं, विशेष कर उन से जो इस सदन के सदस्य हैं कि जब आप इतने ऊंचे पहुंच गये हैं—मैं यह बात व्यक्तिगत रूप से कहता हूं—कि एक बार नहीं अनेक बार लोक सभा में या राज्य विधान सभा में चुन कर आये है, सदस्य रह चुके हैं, तो इस का अर्थ यह कि आप की राजनीतिक स्थिति भी हम से किसी बात में कम

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]

नहीं है, आर्थिक स्थिति या शैक्षणिक स्थिति भी किसी बात में कम नहीं हैं तो आप मेहरबानी कर के रिजर्व्ड सीट को छोड़ कर जैनरल सीट से चुनाव लड़ कर आयें, रिजर्व्ड सीट दूसरे गरीब हरिजन भाइयों के लिये छोड़ दें। इस का नतीजा यह होगा कि आप में से भी कई आदमी जैनरल सीट से चुन कर आ जायेंगे, और रिजर्व्ड सीटों से भी दूसरे गरीब लोग चुन कर आगे आ सकेंगे। यदि 100 इस प्रकार नई सीटों पर चुनाव लड़े तो 10-20 या 25 की संख्या में जैनरल सीट से आप तो चुन कर आयेंगे ही, लेकिन उस के साथ-साथ रिजर्व्ड सीट से चुन कर आने वालों की संख्या कम नहीं होगी, इस तरह से यहां आप की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। व्यक्ति हार सकते हैं किन्तु हरिजन समुदाय अवश्य जीतेगा। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि आज मेरे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मुझे स्पष्टवादिता के लिये क्षमा करें। हिन्दू धर्म में भी कुछ ऐसा समाज है जहां जाति भेद नहीं है, मगर मैं देखता हूं कि यहां आने के बाद या यहां आने के लिये जाति भेद कायम रहता है, जो कि इस कमरे के बाहर नहीं है। जैसे आर्य समाज में जाति भेद नहीं है, सिखों में जाति भेद नहीं है.....

श्री शशि भूषण (खरगोन) : कायस्थों में भी नहीं है।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : मैं तो जैनरल सीट से लड़ कर आता हूं, रिजर्व्ड सीट से नहीं आता हूं, लेकिन अगर कायस्थों को भी सुरक्षित स्थान देना है तो दीजिये, वह मैं शशि भूषण वाजपेयी जी आप के लिये छोड़ दूंगा। मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक उदाहरण और देना चाहता हूं। हिन्दुओं के सभी पंथों में यह पद्धति है कि जिस दिन कोई व्यक्ति सन्यास लेता है, उस दिन से उन के पिता का नाम नहीं चलता, गुरु परम्परा का नाम चलता है। लेकिन यहां आने के लिये पिता के नाम को खींच कर लाते हैं, क्योंकि बिना उस के यहां सुरक्षित स्थान पर चुनाव लड़कर आ नहीं सकते। इस लिये जब तक यह रास्ता रहेगा तब तक जाति-पांति दूर नहीं होगी, इस प्रकार का वैस्टेड इंटरेस्ट छोड़ना होगा। यह पद्धति अछूतपने को अनन्त काल तक बनाये रखेगी।

यही बात पढ़े लिखे, अमीर, शक्ति-शाली क्रिश्चियन आदिवासियों के साथ लागू होती है। यह ठीक है कि धर्म परिवर्तन से किसी को सजा न हो, लेकिन धर्म परिवर्तन न करने वालों को भी सजा न मिलनी चाहिये, यह बात पहले निश्चित होनी चाहिये। जैसे आज मेरे बिहार के आदिवासी इस बात को लेकर रोते हैं कि हम ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, इसी लिये उस की सजा भुगत रहे हैं, हमारा विकास नहीं हो रहा है।

एक बात मुझे बिहार की रखनी है-हमारे बहुत से आदिवासी असम गये हैं, हमारे बहुत से मित्रों ने भी उन के बारे में यहां उल्लेख किया है, जो लोग आदिवासी हैं असम चले गये हैं, उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला है, जैसे हमारे यहां बसने वाले संथाल आदिवासी हैं वैसे ही वे भी है वे असम में जा कर दूसरे हो गये, ऐसा क्यों ? इस प्रकार का भेदभाव क्यों करते हैं ? मैं आप की नीयत को दोष नहीं देता हूं, लेकिन आप की समझदारी को दोष देता हूं, इसलिये कि आप जल्दबाजी में, प्रेशराइज हो कर अनुचित दबावों में पड़ कर अधकचरा काम कर रहे हैं और सोचने का समय ही नहीं पाते हैं, इसीलिये अपनी बात पर कायम भी नहीं रहते हैं। इसलिये दया कर के इस पर पुनः विचार कीजिये और जो सब से जरूरी चीज है कि सब को स्वतन्त्रता दें ताकि लोग अपने कांशेंस के अनुसार इस पर वोट दें।